

क्षतिपूर्ति बंध –पत्र

(स्वामित्व दस्तावेज नही होने बाबत)

मैं..... पुत्र/पुत्री /पत्नी/ श्री जाति
उम्र.....वर्ष निवासी.....तहसील.....जिला
.....राज्य का रहने वाला हूँ जो कि सशपथ पूर्वक निम्न बयान
करता/करती हूँ कि :-
सहायक अभियंता(कार्यालय का नाम) के कार्यालय में विद्युत
कनेक्शन हेतु आवेदन किया है जैसा की सहायक अभियंता
(कार्यालय का नाम)ने निवासी.....तहसील.....जिला
.....राज्य में स्थित मकान/दुकान की मेरे द्वारा अपेक्षित विद्युत
कनेक्शन के लिए मकान/ दुकान की सहमति मांगी है जबकि मैं मकान/ दुकान मालिक सहमति
पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। चूँकि (कार्यालय का नाम) ने इस संबंध में
झुमें लिखित वचन चाहा है, अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के
संबंध में अगर किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल
नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति, खर्चों की क्षतिपूर्ति करने
का मैं वचन देता/ देती हूँ। अतः यह अनुबंध मकान/दुकान कि बिना सहमति के निगम के द्वारा
मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिए जाने हेतु साक्ष्य किया जावे। मैं वचन देता/देती हूँ कि निगम
को इस संबंध में हुए वादकारण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/ क्षतियों एवं खर्चों की
क्षतिपूर्ति का वचन देता /देती हूँ।

दिनांक :-

(निष्पादक के हस्ताक्षर)

पता

स्थान